भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3130

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दालें

3130. श्री चंदन चौहान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लाभार्थियों में पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत दालों या अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य वस्तुओं को शामिल करने का विचार है और यदि हाँ, तो वितरित की जाने वाली दालों/खाद्य वस्तुओं के प्रकार, प्रति परिवार मात्रा और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई प्रायोगिक परियोजना चलाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो इस प्रकार के समावेशन के वित्तीय निहितार्थों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्त वर्ष 2024-25 में पीडीएस के अंतर्गत दालों का वितरण किया गया था; और

(ड.) यदि हाँ, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार और जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ङ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार शासित होती है, जिसमें "खाद्यान्न" को चावल, गेहूं या मोटे अनाज (मिलेट्स सहित) या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्रीअन्न) खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं के अनुसार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सब्सिडीयुक्त दरों पर दालों की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****